रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली बुधवार, जून 26, 2013/आषाढ़ 5, 1935
No. 176] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2013/ASHADHA 5, 1935—

MadiaCode

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2013

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
(नई निश्चित अंशदायी पेंशन) विनियमावली, 2012

फा सं. 4465/एपीवी.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक-मंडल एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- यह विनियमावली भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (नई निश्चित अंशदायी पेंशन) विनियमावली, 2012 कहलाएगी और एतद्पश्चात् इसे "सिडबी एनपीएस" अथवा "योजना" कहा जाएगा।
- जब तक कि इस विनियमावली में अन्यथा स्पष्टतः कहा न गया हो, तब तक यह विनियमावली अनुमोदन की तारीख को और उससे प्रभावी होगी।

1.2 परिभाषाएँ

इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- "एएसपी" अथवा "वार्षिकी सेवा प्रदाता" से आशय है, ऐसे वार्षिक सेवा-प्रदाता जो नई पेंशन योजना के अभिदाताओं को नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हों।

- "बैंक" से आशय है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जिसमें उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती शामिल हैं।
- "मूल वेतन" से आशय है, कर्मचारी द्वारा मूल अथवा स्थानापन्न की हैसियत से धारित किसी पद के लिए उसे स्वीकृत वेतन-मानों के चरणों में उसके द्वारा आहरित राशि, अथवा वह राशि जिसे पाने के लिए वह किसी कैडर/ग्रेड में अपनी स्थिति के कारण पात्र हो।
- "निदेशक-मंडल" से आशय है बैंक का निदेशक-मंडल।
- "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक" से आशय है सिडबी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
- "सक्षम प्राधिकारी" से आशय है वह उप प्रबंधक निदेशक, जिसके पास मानव संसाधन का प्रभार हो और उसकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा अधिकारी जो देश-प्रमुख अथवा समकक्ष ग्रेड से निम्नतर न हो, और जिसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने इस योजना के उद्देश्य हेतु सक्षम प्राधिकारी नामित किया हो।
- "सीआरए" से आशय है केन्द्रीय अभिलेख रखनेवाली एक अथवा अधिक एजेंसी, जिसे एनपीएस के सभी अभिदाताओं के अभिलेख रखने, प्रशासन एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्यों के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अनुमोदित/पदनामित किया हो, जोकि वर्तमान में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है।
- "अनुमोदन की तारीख' से आशय है 01 दिसंबर 2011.
- "समाप्ति की तारीख (date of cessation) " से आशय है वह तारीख जिससे कोई अभिदाता कर्मचारी बैंक का कर्मचारी नहीं रह जाता।
- "महँगाई भत्ता" से आशय है वेतन का वह हिस्सा, जिसकी गणना मूल वेतन और अन्य ऐसे भत्तों की उस मात्रा के प्रतिशत के रूप में, जो महँगाई भत्ते की गणना के लिए पात्र हों [भारत सरकार द्वारा घोषित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1964 = 100) के आधार पर] की जाती है।
- "कर्मचारी" से आशय है कोई व्यक्ति जो पूर्णकालिक आधार पर अथवा अंशकालिक आधार पर (प्रति सप्ताह तेरह घंटे से अधिक) बैंक की सेवा में हो नियोजित हो। किन्तु इसमें (क) संविदा आधार पर अथवा दैनिक आधार पर नियोजित व्यक्ति, और (ख) अन्य संस्था/सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आया व्यक्ति शामिल नहीं होगा।
- "वित्तीय वर्ष" से आशय है अप्रैल के पहले दिन से आरंभ होने वाला वर्ष।
- "नई पेंशन योजना आर्किटेक्चर" से आशय है, एएसपी, सीआरए, पीएफ/पीएफएम, पीओपी, ट्रस्टी बैंक, एनपीएस ट्रस्ट, कस्टोडियन तथा ऐसी दूसरी संस्थाएं जो नई पेंशन योजना को नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए परिचालन हेतु पीएफआरडीए द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
- "एनपीएस ट्रस्ट" से आशय है भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा स्थापित कोई ट्रस्ट, जिसे ट्रस्टी नियुक्त किया गया हो, और जिसमें "राष्ट्रीय पेंशन योजना" का प्रशासन निहित हो।
- "वेतन" में शामिल हैः (क) मूल वेतन- अवरुद्ध वेतनवृद्धि (यदि कोई हो) सहित, और (ख) भविष्य निधि में अंशदान तथा महँगाई भत्ते के भुगतान के उद्देश्य से परिगणित सभी भत्ते, (ग) महँगाई भत्ता, और (घ) कोई अन्य परिलब्धि जो इस योजना के उद्देश्य से निदेशक मंडल द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हो।
- "पीएफएम अथवा पेंशन निधि" से आशय है अभिदाताओं द्वारा नई पेंशन योजना के अंतर्गत की गई सेवा-निवृत्ति बचत के प्रबंधन के लिए पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त एक अथवा अधिक पेंशन निधि प्रबंधक।
- "पीएफआरडीए" से आशय है "भविष्य निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण", जिसे 10 अक्तूबर, 2003 के कार्यपालक आदेश के ज़रिए स्थापना भारत सरकार ने 23 अगस्त 2003 को स्थापित किया है और जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था आय की सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा पेंशन क्षेत्र के लिए विनियामक के तौर पर काम करना है। इसमें इसके उत्तराधिकारी भी शामिल हैं।
- " भविष्य निधि" से आशय है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी-भविष्य निधि), विनियमावली, 1990 (समय-समय पर यथासंशोधित), जोकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार निर्मित की गई है।
- "पीओपी अथवा उपस्थिति का बिन्दु" से आशय है स्थायी सेवा-निवृत्ति खाता खोले/स्थापित करने वाले अभिदाता कर्मचारियों द्वारा योजना के अंतर्गत अभिदान जमा कराने के उद्देश्य से सीआरए के साथ व्यवहार का प्रथम बिन्दु।

IndiaCode

- "अभिदाता कर्मचारी" से आशय है, खंड 2.1 के अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र और टीयर-I /पेंशन खाते में अपना अभिदान जमा करनेवाले कर्मचारी।
- "टीयर-I /पेंशन खाते" से आशय है पीओपी की किसी भी अधिकृत शाखा के माध्यम से खोला गया कोई अनिवार्य अनाहरण खाता, जिसका उद्देश्य सेवा-निवृत्ति समूह-निधि निर्मित करने के लिए अभिदान/अंशदान जमा कराने की सुविधा प्रदान करना हो।
- "टियर-II" खाते से आशय है अभिदाता कर्मचारियों को तरलता प्रदान करने के लिए पूर्णतया स्वैच्छिक एवं वैकल्पिक बचत सुविधा, जिसमें बैंक द्वारा कोई अभिदान नहीं किया जाएगा और अभिदाता कर्मचारी जिसका परिचालन एएफआरडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेगा।
- "न्यासी बैंक" से आशय है, ऐसा बैंक जिसमें नई पेंशन योजना ट्रस्ट का खाता हो और जिसे नई पेंशन योजना ट्रस्टी बैंक नामित किया गया हो।
- बड़े अक्षरों में लिखे गए जो पदबंध इस योजना में इस्तेमाल हुए हैं किन्तु यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका अर्थ वही रहेगा जो सिडबी (स्टाफ) विनियमावली 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) में उनके लिए विहित है।

अध्याय- II

प्रयोज्यता

2. प्रयोज्यता

2.1 यह विनियमावली उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 दिसंबर, 2011 को अथवा उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं।

अध्याय- III

टियर- I पेंशन खाता खोलना

3.1 टियर-I / पेंशन खाता खोलना

3.1.1प्रत्येक अभिदाता कर्मचारी पीएफआरडीए के नागरिक मॉडल के अंतर्गत टियर-I/ पेंशन खाता खोलेगा और केवाईसी संबंधी उन सभी अपेक्षाओं तथा अन्य औपचारिकताओं का पालन करेगा जो खंड 3.3 में दी गई हैं। अभिदाता कर्मचारी टियर-I/ पेंशन खाते के विवरण बैंक को देगा।

3.1.2यदि अभिदाता कर्मचारी का कोई टियर-I/पेंशन खाता पहले से विद्यमान हो तो अभिदाता कर्मचारी बैंक की सेवा ग्रहण करते समय सेवा-ग्रहण किट के साथ ही उक्त खाते के विवरण भी बैंक को देगा।

3.1.3अभिदाता कर्मचारी टियर-I/पेंशन खाता खोलने के लिए अपेक्षित फॉर्म एवं दस्तावेज पीएफआरडीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। अभिदाता कर्मचारी को टियर-I के लिए अभिदाता पंजीकरण फॉर्म, स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के आवंटन के लिए आवेदन तथा नई पेंशन योजना अंशदान के लिए अनुदेश पर्ची भरनी होगी। अभिदाता कर्मचारी को समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

3.2 आरंभिक अंशदान, सेवा प्रभार एवं अन्य शुल्क का भुगतान

नई पेंशन योजना-व्यवस्था के अंतर्गत पीएफआरडीए अथवा अन्य मध्यवर्ती पक्षों की अपेक्षानुसार आरंभिक अंशदान, सेवा प्रभार एवं अन्य शुल्क का भुगतान सामान्यतः पूरी तरह से अभिदाता कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी। किन्तु बैंक टियर-I पेंशन खाते से संबंधित आरंभिक प्रभारों एवं शुल्क को वहन करने पर विचार कर सकता है। किन्तु कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त अंशदान/ परिवर्तन संबंधी अनुरोध से संबंधित प्रभारों, शुल्क आदि का वहन किसी भी स्थिति में बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा।

3.3 टियर-I/पेंशन खाते के रख-रखाव तथा परिचालन के संबंध में अभिदाता कर्मचारी की जिम्मेदारी

3.3.1 यदि किसी कारणवश (जिसमें निलंबन, बिना वेतन छुट्टी, अनधिकृत अनुपस्थिति, शैक्षिक अवकाश, बाहरी एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति आदि भी शामिल है, किन्तु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है) अभिदाता कर्मचारी को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, अथवा वह वेतन आहरित नहीं करता तो अपेक्षानुसार न्यूनतम अंशदान करके अथवा पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट तरीके से टियर-I / पेंशन खाते के रख-रखाव तथा परिचालन की पूरी जिम्मेदारी अभिदाता कर्मचारी की होगी।

IndiaCode

3.3.2नई पेंशन योजना व्यवस्था के अंतर्गत उपयुक्त मध्यवर्ती पक्षों जैसे पीओपी, एएफएम, पीएफ को ऐसे एक अथवा अधिक मध्यवर्ती पक्षों के चयन के बारे में अथवा पीएफआरडीए में संचालित टियर-I/पेंशन खाते में निवेश पद्धति के संबंध में विभिन्न विकल्पों का उपयोग करने अथवा उनके विषय में अपने अनुदेशों की जिम्मेदारी अभिदाता कर्मचारी की होगी।

3.4 अतिरिक्त अंशदान/अभिदान

यदि अभिदाता कर्मचारी चाहे तो वह पीएफआरडीए की अनुमति से अपने टियर-I / पेंशन खाते में सीधे अतिरिक्त अंशदान/ अभिदान कर सकता/ती है। किन्तु ऐसे अतिरिक्त अंशदान/ अभिदान के कारण कोई अतिरिक्त अंशदान/ अभिदान करने के विषय में बैंक की कोई बाध्यता नहीं होगी।

3.5 टियर-I/ पेंशन खाते के समाधान का उत्तरदायित्व

अपने टियर-I/पेंशन खाते में जमा राशियों के आवधिक समाधान का पूरा उत्तरदायित्व अभिदाता कर्मचारी का होगा और किसी भी विसंगति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। अभिदाता कर्मचारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए जाने पर बैंक अंशदान/ अभिदान के प्रति अंतरित की गई राशि और उसकी तारीख सूचित करेगा।

अध्याय IV

अंशदान

4.1 अंशदान/अभिदान की दर

4.1.1 प्रत्येक अभिदाता कर्मचारी को उस वेतन एवं महँगाई भत्ते तथा वेतन एवं महँगाई भत्ते की बकाया राशि के 10% का अंशदान करना होगा, जिसका भुगतान बैंक द्वारा उसे किया गया हो। अपेक्षित कटौती को टियर-I पेंशन खाते में जमा करने के लिए अभिदाता कर्मचारी द्वारा बैंक को अधिकृत किया जाएगा। बैंक टियर-I पेंशन खाते में उतनी ही राशि का अंशदान/अभिदान करेगा।

4.1.2टियर-I पेंशन खाते के प्रति वसूलीः टियर-I पेंशन खाते में अंशदान/अभिदान उस महीने के वेतन से आरंभ होगा, जिसमें अभिदाता कर्मचारी ने सेवा आरंभ की हो।

4.1.3अभिदाता कर्मचारी के वेतन से हर महीने अंशदान/अभिदान के प्रति की गई समस्त कटौती की राशि को बैंक द्वारा उसी महीने टियर-I पेंशन खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। किन्तु यदि कटौती महीने के आखिरी दिन की गई हो तो इस प्रकार वसूल की गई राशि बैंक द्वारा टियर-I पेंशन खाते में उससे अगले महीने अंतरित की जाएगी।

4.2 अंशदान/अभिदान पर ब्याज

बैंक के उचन्त खाते में धारित ऐसे समस्त अंशदान/अभिदान पर उस दर से ब्याज मिलेगा जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने बचत खाते पर दिया जाता हो और अर्जित ब्याज को भी टियर-I पेंशन खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

अध्याय V

सामान्य शर्तें

5.1 कर्मचारी को वर्तमान में उपलब्ध अधिवर्षिता निधि लाभ (ग्रेच्युटी को छोड़कर), (चाहे वे जिस किसी भी नाम से हों), इस योजना के खंड 2 में समाहित अभिदाता कर्मचारी को उपलब्ध नहीं होंगे। भविष्य निधि में अभिदाता कर्मचारी के नाम से जमा समस्त निधि टियर-I पेंशन खाते में अंतरित कर दी जाएगी और अभिदाता कर्मचारी अपेक्षित अनुदेश देकर तथा अधिकृत करके उसमें मदद करेगा।

5.2 किए जानेवाले अंशदान/अभिदान में वेतन एवं महँगाई भत्ते का 10% शामिल है और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभिदाता कर्मचारी जिस दिन से इस योजना के अंतर्गत पात्र होता है, उस तारीख को और उस तारीख से पिछले अंशदान/अभिदान के संबंध में वेतन व महँगाई भत्ते के 10% का अंशदान/अभिदान करने में चूक करता/ती है तो बैंक उसकी कटौती करेगा।

5.3 अभिदाता कर्मचारी अपने विवेक से टियर- II में स्वैच्छिक अंशदान कर सकता/ती है।

IndiaCode

5.4 अभिदाता कर्मचारी टियर-I पेंशन खाते के संबंध में पीएफआरडीए की अपेक्षानुसार नामांकन प्रक्रिया पूरी करेगा और बैंक में उक्त आशय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। टियर-I खाते में अंतरित नहीं किए गए सभी अंशदान/अभिदान टियर-I पेंशन खाते के अंतर्गत नामिती/ नामितियों को अदा किए जाएँगे। किन्तु यदि अभिदाता कर्मचारी की मृत्यु नामांकन प्रक्रिया के पहले हो जाए तो टियर-I पेंशन खाते में अंतरित नहीं किया गया समस्त अंशदान/ अभिदान उस नामिती/नामितियों को अदा कर दिया जाएगा, जो ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु नामित हों।

5.5 टियर-I पेंशन खाता पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं व दिशा-निर्देशों के अनुसार रखा और परिचालित किया जाएगा।

5.6 अभिदाता कर्मचारी टियर-I पेंशन खाते के संचालन, रख-रखाव तथा परिचालन से संबंधित अपनी सभी शिकायतें (जिसमें जमा, निवेश-प्रतिप्राप्ति, समाधान आदि भी शामिल हैं) पीएफआरडीए को अथवा स्थिति के अनुसार, नई पेंशन योजना व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित किसी भी मध्यवर्ती संस्था को भेजेगा और उनके निराकरण के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

5.7 बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अभिदाता कर्मचारी को एक समेकित विवरणी उपलब्ध कराएगा, जिसमें अभिदाता कर्मचारी और बैंक द्वारा किए गए अंशदान/अभिदान का विवरण उपलब्ध होगा।

अध्याय VI

विविध

6.1 योजना में संशोधन/आशोधन

बैंक इस योजना में समय-समय पर सुधार करने का अधिकार रखेगा, जो अभिदाता कर्मचारी के लिए बाध्यताकारी होगा। पीएफआरडीए द्वारा कभी भी किए गए समस्त संशोधन, आशोधन एवं अन्य परिवर्तन इस योजना में समाहित माने जाएँगे।

6.2 प्रशासनिक अनुदेशों की व्याख्या करने और उन्हें जारी करने की शक्ति

योजना की व्याख्या करने की शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक में निहित है। साथ ही, वह इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रशासनिक निर्देश जारी करने में भी सक्षम हैं जो इस योजना के प्रावधानों को लागू व क्रियान्वित करने और अन्य उद्देश्यों हेतु आवश्यक हों।

टी. आर. बजालिया, उप प्रबन्ध निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./139ए/13]

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2013

The Small Industries Development Bank of India

(Defined Contributory New Pension) Regulations, 2012

F. No.4465/APV.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India hereby make the following Regulations namely:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1.1 Short title and commencement

(i) These Regulations shall be called The Small Industries Development Bank of India (Defined Contributory New Pension) Regulations, 2012, hereinafter referred to as "SIDBI NPS" or "Scheme".

(ii) Save as otherwise expressly provided in this Regualtions, the Regulations shall come into force on and from the Date of Approval.

1.2 Definitions

In this Regulations, unless the context otherwise requires :

(a) "ASPs" or "Annuity Service Providers" means annual service providers responsible for delivering a regular monthly pension to the subscribers of NPS."

(b) Bank" means Small industries Development Bank of India (SIDBI) which expression includes its successors and assignees.

(c) "Basic Pay" means the amount drawn by an employee in the stages of the pay-scales, which has been sanctioned for a post held by him/her substantively or in an officiating capacity, or to which he/she is entitled by reason of his/her position in a cadre/grade.

(d) "Board" means the Board of Directors of the Bank.

(e) "CMD" means Chairman & Managing Director of SIDBI.

(f) "Competent Authority" means the Deputy Managing Director holding charge of Human Resources and in his absence any officer not below the rank of Country Head or equivalent grade, designated as a Competent Authority by CMD for the purpose of this Scheme.

(g) "CRA" means one or more central record keeping agency, approved/designated as such by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for record keeping, administration and customer service functions of all subscribers of the NPS and presently the National Securities Depositories Ltd.

(h) "Date of Approval" means December 01, 2011

(i) "Date of Cessation" means the date on which a Subscriber employee ceases to be an Employee of the Bank;

(j) "Dearness Allowance" (DA) means the part of a salary which is calculated as a percent [based on the Consumer Price Index (1964=100) announced by Government of India on quarterly basis] of the Basic Pay and such other allowances to the extent that qualify for computation of Dearness Allowance.

(k) "Employee" means any person employed in the services of the Bank on full time work or on part time basis [exceeding thirteen hours per week] but shall not include: (a) a person employed either on contract basis or on daily basis; and (b) a person on deputation from other organization/Government.

(l) "Financial Year" means a year commencing on the first day of April.

(m) "NPS Architecture" means ASPs, CRA, PFs/PFMs, POP, Trustee Bank, NPS Trust, Custodian and such other entities as may be specified by PFRDA for operationalising the NPS roll out to the citizens.

(n) "NPS Trust" means a trust established under Indian Trust Act, 1882 by PFRDA and appointed trustees in whom the administration of "National Pension System" vests.

(o) "Pay" includes: (a) Basic Pay including stagnation increments, if any; and (ii) all allowances counted for the purposes of making contribution to the provident fund and for the payment of dearness allowance; (iii) Dearness Allowance; and (iv) any other emoluments which may be classified as Pay by the Board for the purpose of this scheme.

(p) "PFMs or Pension Funds" means one or more pension fund managers appointed by PFRDA to manage the retirement savings of the subscribers under the NPS.

(q) "PFRDA" means "Pension Fund Regulatory and Development Authority" set up by Government of India on 23rd August 2003 through an executive order dated 10th October 2003 to promote old-age income security and to act as a regulator for the pension sector and includes its successors.

(r) "Provident Fund" means the Small Industries Development Bank of India (Employees' Provident Fund)Regulations, 1990, as amended from time to time created under the powers conferred by sub-

IndiaCode

section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, (39 of 1989).

(s) "PoP or Point of Presence" means the first point of interaction between the Subscriber Employees who have opened/established permanent retirement account and with CRA for the purpose of depositing subscriptions under the Scheme.

(t) "Subscriber Employee" means Employee eligible under the Scheme in terms of clause 2.1 and subscribing his/her contribution in the Tier-I/Pension Account.

(u) "Tier-I/Pension Account" means a mandatory non-withdrawable account opened through any of the authorized branches of POPs, for facilitating deposit/credit of subscriptions/contributions for building a retirement corpus;

(v) "Tier-II" account means a purely voluntary and optional savings facility to provide liquidity to Subscriber Employees and in which no contributions shall be made by the Bank and which shall be operated by the Subscriber Employee in accordance with the directions/instructions issued by PFRDA from time to time.

(w) "Trustee bank" means a bank, which holds the account of the NPS Trust and designated as NPS Trustee Bank.

(x) Capitalized terms used in this scheme but not defined herein shall have the same meaning ascribed to it in SIDBI (Staff) Regulations , 2001 as amended from time to time.

CHAPTER-II

APPLICATION

2. Application

2.1 The Regulations shall apply to all the Employees joining the services of the Bank on and after 1st December 2011.

IndiaCode

CHAPTER-III

OPENING OF TIER-I PENSION ACCOUNT

3.1 Opening of new Tier-I/Pension Account

3.1.1 Every Subscriber Employee, shall open a Tier-I/Pension Account under the All Citizen's Model of PFRDA and comply with all the KYC requirements and other formalities as given in clause 3.3. The Subscriber Employee shall furnish the particulars of the Tier-I/Pension Account to the Bank.

3.1.2 In case the Subscriber Employee has an existing Tier-I/Pension Account, the Subscriber Employee shall furnish the particulars of the same to the Bank at the time of joining the services in the bank along with joining kit.

3.1.3 The Subscriber Employee can download the requisite forms and documents required to open Tier-I Pension Account from the PFRDA website. The Subscriber Employee shall have to fill up application form for Subscriber Registration for Tier-I, application for allotment of Permanent Retirement Account Number (PRAN) and NPS Contributions Instruction Slip. The subscriber Employee shall have to furnish KYC documents as may be required by PFRDA from time to time.

3.2 Payment of Initial Contribution, Service Charges and Other Fees

Payment of initial contribution, service charges and various fees, as per the requirements of PFRDA or any other intermediaries under the NPS Architecture shall generally be the sole responsibility of the Subscriber Employee. However, the Bank may consider bearing the initial charges and fees related to Tier-I Pension Account, but no charges fees towards additional contributions/change requests made by the employee under any circumstances shall be borne by the Bank.

3.3 Responsibility of the Subscriber Employee to maintain and operate Tier-I/Pension Account

3.3.1 In case no salary is paid or drawn by the Subscriber Employee for any reason whatsoever including but not limited to reason of suspension, leave without pay, unauthorized absence, education leave, deputation to outside agencies etc. it will be the sole responsibility of the Subscriber Employee to maintain and service the Tier-I/Pension Account by making the minimum contribution as may be required or stipulated by PFRDA from time to time.

3.3.2 The Subscriber Employee shall be responsible for exercising and giving instructions to the appropriate intermediaries, like POPs, PFMs, PFs, under the NPS Architecture of his/her exercise of various options either in respect of the selection of one or more such intermediaries or the investment pattern relating to the Tier-I/Pension Account maintained with PFRDA.

3.4 Additional contribution/subscription

The Subscriber Employees, if so desires, may make additional contributions/subscriptions to his/her Tier-I/Pension Account, directly to his/her Tier-I/Pension Account, if permitted by PFRDA. However, the Bank shall not have any obligations whatsoever to make any contributions/subscriptions on account of such additional contributions/subscriptions.

3.5 Responsibility for reconciliation of Tier-I/Pension Account

The Subscriber Employee shall be solely responsible for periodic reconciliation of the credits to his/her Tier-I/Pension Account, and the Bank shall not be responsible for any discrepancies. The Bank shall on a specific request made by the Subscriber Employee, furnish the date and the amount of funds transferred by way of contributions/subscriptions.

IndiaCode

CHAPTER IV
CONTRIBUTIONS

4.1 Rate of contributions/subscriptions

4.1.1 Every Subscriber Employee shall have to make a contribution of 10% of Pay and DA and arrears of pay and DA, if any, paid by the Bank to the Subscriber Employee by authorizing the Bank to make requisite deduction for credit in the Tier-I Pension Account. The Bank will make contribution/subscription of matching amount in the Tier-I Pension Account.

4.1.2 Recoveries towards Tier-I Pension Account contributions/subscriptions will start from the salary of the month in which the Subscriber Employee has joined service.

4.1.3 All contributions/subscriptions deducted by the bank every month from the Pay of the Subscriber Employee shall be transferred by the Bank to the Tier-I Pension Account in the same month. However, in case the deduction is made on the last day of the month, the amount so recovered shall be transferred by the bank to the Tier –I Pension Account in the subsequent month.

4.2 Interest on contributions/subscriptions

All such contributions/subscriptions held in suspense account of the Bank shall earn interest at the rate as applicable to the rate of savings account offered by the State Bank of India and the earned interest shall also be transferred to the Tier-I Pension Account.

CHAPTER V
GENRAL CONDITIONS

5.1 The existing superannuation fund benefits, except gratuity, under whatever nomenclature available to the Employees, shall not be available to the Subscriber Employees covered by clause 2 of this Scheme. All the funds lying to the credit of the Subscriber Employee in the provident fund shall be transferred to Tier-I Pension Account and the Subscriber Employee shall facilitate the same by issuing requisite instructions and authorizations.

5.2 The contributions/subscriptions to be made includes 10% of Pay & Dearness Allowance and it is clarified that the Bank shall deduct the same in case the Subscriber Employee commits default in the payment of his/her contributions/subscriptions of 10% of the Pay & Dearness Allowance in respect of the past contributions/subscriptions on and from the date the Subscriber Employee becomes eligible for the benefit under the Scheme.

5.3 Subscriber Employee may at his/her discretion make a voluntary contribution in Tier-II account.

5.4 The Subscriber Employee shall complete the nomination process in respect of the Tier-I Pension Account as per the requirements of PFRDA and submit evidence to that effect to the Bank. All the contributions/subscriptions not transferred to the Tier-I Pension Account shall be paid to the nominee/nominees under the Tier-I Pension account. Provided, however, in case the Subscriber Employee dies before the completion of the nomination process, all the contributions/subscriptions not transferred to the Tier-I Pension Account shall be paid to the nominee/nominees named for the purpose of payment of the gratuity.

5.5 The Tier-I Pension Account shall be maintained and operated as per the procedures and guidelines prescribed by PFRDA from time to time.

5.6 The Subscriber Employee shall direct all his/her grievances relating to the conduct, maintenance and operations of Tier-I Pension Account including those relating to the credits, investment returns, reconciliation, etc. to PFRDA or any of the intermediaries under the NPS Architecture as the case may be and the Bank shall not be responsible for the redressal thereof.

5.7 The Bank shall at the end of each Financial Year make available to the Subscriber Employee a consolidated statement detailing the contributions/subscriptions made by the Subscriber Employee and by the Bank.

IndiaCode

CHAPTER VI
MISCELLANEOUS

6.1 Amendments / modifications to the Scheme

The Bank reserves the right to amend this Scheme from time to time, which shall be binding on the Subscriber Employee. All the amendments, modifications and other changes as and when effected by PFRDA shall stand incorporated in this Scheme

6.2 Power to interpret and issue administrative instructions

The power to interpret the Scheme vests with the CMD of the Bank who is also empowered under this Scheme to issue such administrative instructions as may be necessary to give effect to, and carry out the purposes of the provisions of this Scheme or otherwise.

T. R. BAJALIA , Dy. Managing Director
[ADVT-III/4/Exty./139A/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.